Time Bound/RTI Matter

No. Q/Pen/551/13/2017
Ministry of External Affairs
Administration Division
(Pension Section)

Date: 23rd June, 2017.

To,

Smt. Reena Khurana,
2/231, Subhash Nagar,
New Delhi - 110023.

Sub: Information sought under RTI Act, 2005.

Madam,

Please refer to your RTI application dated NIL (received in the Ministry on 21.06.2017) seeking certain information under RTI Act, 2005.

2. The information sought in your application is furnished below *ad seriatim*:

(1) The information relates to personal information disclosure of which has no relationship to any public activity or interest and which would cause unwarranted invasion of the privacy of the individual and therefore, cannot be disclosed under Section 8(1)(j) of RTI Act, 2005.

(2) and (3) The information sought is not covered within the scope of the RTI Act, 2005 as seeking of explanations, reasons, opinion, advice does not constitute 'information' as defined in Section 2 of the Act *ibid.*

(4) No specific information is sought from the Ministry.

3. If you are aggrieved with this reply, you may file an appeal with Shri Kartik Pande, Director (ADP) & Appellate Authority, Ministry of External Affairs, Room No. 4095, 'B' Wing, Jawaharlal Nehru Bhavan, 23-D, Janpath, New Delhi – 110011 within 30 days of receipt of this letter.

Yours faithfully,

CKKern

(Chandramouli Kumar Kern)
Under Secretary (Pension) & CPIO
Tel: 4901 5369

Copy to:

1. Shri Kartik Pande, Director (ADP), Room No. 4095, 'B' Wing, Jawaharlal Nehru Bhavan, 23-D, Janpath, New Delhi – 110011.

2. Shri Mukesh Kumar Ambasta, Under Secretary (RTI), Room No. 1024, Jawaharlal Nehru Bhavan, 23-D, Janpath, New Delhi – 110011.

833
23-06-17

डा. सं. 3934 पेंशन अनुभाग
Dy. No. ..... Pension Section
दिनांक/Date 23/06/17

RTI Matter
Time Bound

Ministry of External Affairs
(RTI Cell)
* * * * *

Room No. 2021- A Wing,
Jawaharlal Nehru Bhawan,
23-D, Janpath, New Delhi -110 011.

No. RTI/551/975/2017

Dated: 22/06/2017

OFFICE MEMORANDUM

Subject :- Application under the Right to Information Act, 2005

Attached herewith is an RTI application dated **Nil** (received on **21/06/2017**) of **Ms. Reena Khurana**, seeking information under the RTI Act, 2005.

2. As the subject matter of the application is more closely connected with the functions of 'Pension Section, MEA', the RTI application is being transferred to them under section 6(3) of the RTI Act, 2005 for action as appropriate.

(Mukesh KumarAmbasta)
Under Secretary (RTI)
Tel: 49015300

Encl..... as above

To

Draft reply pl.
CKK
23/6/2017
AO (Pension)

Shri Chandramouli Kumar Kern,
US (PB & Pension),
Room No. 4056, Jawaharlal Nehru Bhawan,
Tel: 49015369
Email: uspb@mea.gov.in

Copy for information to:-

Ms. Reena Khurana, 2/231, Subhash Nagar, New Delhi- 110023. you are requested to contact above mentioned CPIO for any information in this matter.

O/C
issued
22/6/17 wl.

Mr. Mukesh Kumar Ambasta
R TI Cell IPO/445/RTI/MRA/17 Rs:10
Ministry of External Affairs,
Room No 2021, A Wing
Jawahar Lal Nehru Bhawan,
23, Janpath, New Delhi 110011

US (PB & Pension)
2565
21.06.17
SO(RTI)
975/17

Sub. details of Mr. K.L. Khurana (Retd)
(Retired on probably 1996-1997)
Retirement Benefits + Last Designation

With due regards, I will be thankful to you, if you would provide me the following details of Mr. K.L. Khurana son of (Late) B.K. Khurana to enable me to submit to "Honourable Courts" of Tis Hazari and Saket Court wherein Maintenance charges are under the Jurisdiction of the Court.

1. Details of Monthly Pension paid to Mr. K.L. Khurana
2. Is retired employee of Govt. Deptt. getting pension is entitled for maintenance from his children?
3. Does Retired Employee getting pension is dependent upon the children, when he is already getting pension + other Medical facilities/benefits?
4. Mr. K.L. Khurana is getting Rs 10000/- each per-month as Maintenance charges from both the Sons (Total Rs. 20000/-) being maintenance

of parents + Senior Citizens as per Letters dt 20.10.2014 + 1.12.2014 (Amendment) respectively. Letters enclosed, which are self explanatory.

As this Monthly payment of Rs 10000/- each to Mr. K. L. Khurana, which he is not allowed to receive from his sons Kamal Khurana / Rajesh Khurana is effecting my Monthly Maintenance for me + my daughter.

I, Reena Khurana wife of Kamal Khurana son of K. L. Khurana, C-527, Gali No 13, Triveni Apartment Shaheen Bagh, Phase I, New Delhi 110017 was married on 24.10.2011 according to Hindu rites and out of this Wedlock, my daughter was born on 3.3.2013.

I was compelled to leave my in laws house on 20-4-13 (Copy enclosed for reference) on account of physical + mental torture given to me by my in-laws.

I have already filed Cases including Maintenance under Section 125, which is pending in the Court of Honourable Magistrate for Jurisdiction at Tis Hazari Court and Saket Court.

A Postal order for Rs 10/- for PAO, MEA, New Delhi is enclosed for your records.

Your early response in the matter would be very much appreciated.

Yours faithfully

Reena

(Reena Khurana)

2/231 Sushash nagar
New Delhi 110027

286

सत्यमेव जयते

GOVT. OF NCT OF DELHI
TRIBUNAL OF MAINTENANCE OF PARENTS & SENIOR CITIZEN
OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER (SOUTH)
M. B. ROAD: SAKET: NEW DELHI.

Case No. 190/MSC/2014

Date of Order: 28/10/14

Kishan Lal Khurana ... Petitioner

Vs.

Kamal Khurana & Sh. Rajesh Khurana ... Respondent

ORDER

This order shall dispose off the application moved by Sh. Kishan Lal Khurana, resident of C-Cwaikh Sarai-I, New Delhi, filed before the Tribunal for Maintenance and Welfare of Parents Senior Citizen South District. Notices were issued to the petitioner Sh. Kishan Lal Khurana and respondent sons Sh. Kamal Khurana & Sh. Rajesh Khurana. Hearings conducted and conciliation efforts were made by the tribunal members before closing the case.

After the hearings and perusal of documents in file, the Tribunal orders as under:-

1. Both the respondent sons Sh. Kamal Khurana and Sh. Rajesh Khurana shall pay an amount of Rs. 5000/- each as cheque by 10th of every month to the petitioner Sh. Kishan Lal Khurana as maintenance.
2. The respondent sons Sh. Kamal Khurana and Sh. Rajesh Khurana shall share equally the medical expenses of their mother.
3. All parties shall improve their inter-personal relationships and live peacefully among themselves.

It is ordered accordingly.

(ANJU KHANNA)
MEMBER

(K.S.VERMA)
MEMBER

(RAJEEVA SHUKLA)
PRESIDING OFFICER/
ADM (SOUTH)

Office of the Addl. Collector (Distt. South, N.D.)

सत्यमेव जयते

GOVT. OF NCT OF DELHI
TRIBUNAL OF MAINTENANCE OF PARENTS & SENIOR CITIZEN
OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER (SOUTH)
M. B. ROAD: SAKET: NEW DELHI.

Case No. 190/MSC/2014
Dated: 01/12/2014

Kishan Lal Khurana ... Petitioner

Vs.

Sh. Kamal Khurana & Sh. Rajesh Khurana ... Respondent

AMENDMENT TO THE ORDER DATED 11/2014

This is in reference to the earlier Tribunal's Order dated 28/10/2014. The petitioner approached the Tribunal for clarification regarding point no. 2 of the above mentioned order.

Both the sons Sh. Kamal Khurana and Sh. Rajesh Khurana have volunteered that in addition to the maintenance amount ordered by the Tribunal as per the order mentioned they are willing to pay further an amount of Rs. 5000/- each per month towards the medical and other miscellaneous expenses incurred in the day to day running of the house. The same may be read as point no.2 of the earlier order mentioned above.

(...) KHANNA)
MEMBER

(K.S.VERMA)
MEMBER

(RAJEEVA SHUKLA)
PRESIDING OFFICER/
ADM (SOUTH)

Application given for Police Protection

34B
20/4/13
12/15 P.M

प्रेषक:
साधू राम खनेजा,
2/231, सुभाष नगर-
नई दिल्ली-110027
दिनांक:19-04-2013

सेवा में,
एस.एच.ओ.,
थाना मालवीय नगर,
नई दिल्ली-110017

विषय: लड़की को ससुराल वालों से जान का खतरा है उसे अपने मायके लाने में पुलिस सहायता प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र

महोदय,

त्रिवेनी अपार्टमेन्ट (Triveni Aptt.)

मेरी लड़की श्रीमती रीना खुराना पत्नी श्री कमल खुराना पुत्र श्री के.एल. खुराना निवासी सी-527, शेख सारायें,फेस-1, लाइन नं0-13, नई दिल्ली-110017 की शादी 24-10-2011 को दिल्ली में संपन हुई थी। अपनी हैसियत के मुताबिक काफी कुछ दहेज में दिया गया परंतु इसके ससुराल वाले खुश नही थे ,तभी से मेरी लड़की को दहेज कि खातिर मानसिक व शारीरिक रूप से लगातार अत्यचार करते आ रहें है । उसका जीना मुहाल कर रखा है। वह रोज-रोज के अत्यचार से तंग आ चुकी है, जब भी अपने मायके जाने के लिये अपने पति, सास व ससुर से कहती है तभी वे कहते हैं जैसे ही तुम (मेरी लड़की) अपने मायके जाओगी हम पुलिस में शिकायत कर देंगे कि तुम हमारे घर से काफी कुछ सामान चोरी करके ले गई हो। श्रीमान जी मैं अपनी लड़की को अपने घर सुरक्षित लाना चाहता हुं ।

श्रीमान जी आपसे निवेदन है कि मुझे मेरी लड़की को केवल तन पर पहने हुए वस्त्र कपड़ों में अपने घर सुरक्षित वापिस लाने में सहायता कि जाये ताकि उसके बाद उसके ससुराल वाले किसी भी प्रकार का झूठा चोरी का इल्जाम मेरी बेटी पर न लगा सकें। आपकी अति कृपा होगी

धन्यवाद ।

भवदीय

(साधू राम खनेजा)
Mob. 8826101926
9818620034
011-25141129

20-04-2013

सेवा में,

S.H.O
थाना सांवलीया नगर
नई दिल्ली.

महोदय,

मैं वीना खुराना W/O कमल खुराना, पता - H.No. 13, C-527C, Sheikh Sarai Phase-I, Trivedi Apartment, New Delhi-110017 अपने घर (मायके) पता - 2/231, Subhash Nagar, New Delhi-110027 पर मैं वापिस जाना चाहती हूँ। मेरी शादी 25th Oct 2011 को हुई थी। मेरे पति और ससुराल वाले शादी के शुरू से ही मुझे मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे और शारीरिक रूप से भी क्योंकि मेरे ससुराल वालों को शादी के वक्त दहेज में दिया गया था उससे वह खुश नहीं थे। मुझे रोज-रोज के अत्याचार से घृणा है, मैं अपने पति और ससुराल वालों से बहुत तंग हूँ, मेरे ससुराल वालों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, वह मुझसे दहेज की मांग करते हैं - New Car की मांग करते हैं। मेरे ससुराल वाले कहते हैं, जैसे ही मैं अपने मायके (सामान) गई मेरे ससुराल वाले (कहते हैं) मुझ पर काफी बहुत चोरी (का इल्जाम लगाकर) कर के ले गई है। मैं अपने घर (मायके) सुरक्षित जाना चाहती हूँ। मैं सिर्फ अपने साथ अपनी बेटी जो 3rd March-2013 को पैदा हुई है, वही लेकर जा रही हूँ। मैं अपने साथ कोई भी सामान नहीं लेकर जा रही मैंने अपने ससुराल वालों से अपनी बेटी की Medical File मांगी थी, पर ससुराल वालों ने मना कर दिया। मैं सिर्फ तन पर पहने हुए तीन कपड़ों में जा रही हूँ। मैं पुलिस सुरक्षा के साथ जा रही हूँ ताकि मेरे ससुराल वाले मुझ पर चोरी का इल्जाम ना लगा सकें। पुलिस अधिकारी ने मुझे check कर लिया है कि मेरे पास कुछ भी सामान नहीं है। मुझे तंग करने

20-04-2013

सेवा में,

श्रीमान S.H.O साहब
शाहदरा मॉडलटाउन थाना
नई दिल्ली

महोदय, मैं रीना खुराना w/o कमल खुराना पता - H.No-
-527, Tajpuri Apartment, Sheikh Sarai-II, New Delhi पर
रहती हूँ यहाँ मेरे पति, ससुर, देवर और सास के प्रताड़ना से
दुखी होकर अपने मायके, अपने पिता - Sadhu Ram Khanija,
के भाई - Rajiv Khanija के साथ अपने बच्ची को पहले days
से के साथ सुरक्षित ली रही हूँ। मेरी बच्ची बिलकुल
स्वस्थ है और मैं कोई Medical नहीं करवाना चाहती
न अपनी और न ही अपने बच्चे की। मैं आपको पहले
दिए गए ब्यान में आगे ये जोड़ना चाहती हूँ कि मेरा
मोबाईल (Mobile) जिसका Number 9013503173 है, ससुराल
से मैं सभी सामान के साथ अपने पास Mobile भी रख
ली जो मेरी Almirah की चाबी, और तमाम स्त्री धन
रख लिया। और मौके पर पहुंची पुलिस और मेरे
पति व भाई के साथ भी बतमीजी की व धक्का-मुक्की
की। मेरे complaint की copy देने के बावजूद भी
गलत दिए गए ब्यान जिसमें Ladies Police अधिकारी
Physically check किया मेरे Husband के कहने पर
जिसमें मेरे पास कोई सामान नहीं था, उनहोंने मेरे
इस लिखे हुए ब्यान पर Signature करने से मना
दिया और बोला कि तुम पर चोरी का इल्जाम
लगेगा। और देवर - Rajesh Khurana जो Deputy Director
Row पर लगे हुए है Parliament, Lok Sabha Delhi में

मैं को कारण बताना है कि आप पुलिस वाले मेरी बहुत उत्पीड़न की धमकी दे रहे थे, तो मेरे परिवार को किसी न किसी झूठे case में फसाने और परेशान करने की धमकी दे रहे थे। मैं अपनी स्वेच्छा से पिता व भाई के साथ अपने मायके जा रही हूँ। फिलहाल पुलिस कार्यवाही नहीं चाहती। आगे की कार्यवाही Family Court या CW Cell में करूँगी।

रीना खन्ना

Reena

2/231, Subhash Nagar

New Delhi-110027

मैं अपनी बेटी को अपने साथ सुरक्षित हालत / सही सलामत (सलामत) को ले जा रहा हूँ।

Rajiv Khaneja
(Brother)

9818620034
011-25141129

दि 14/2/13

(Sadhna Rani
Khaneja
2/231 Subhash
Nagar
N. Delhi 110027

No 8826101926

Compl. No 707/13 CAW Cell (West) Dated 9/8/13
Hearing Date - 12/8/13 at 11:30 Am

(Urgent)

9/8/13

दिनांक:30-07-2013

प्रेषक:
श्रीमती रीना खुराना पत्नी श्री कमल खुराना,
हाल पता: मार्फत-श्री एस.आर.खनेजा
मकान नंबर-2/231, सुभाष नगर,
नई दिल्ली-110027 (Telephone no 25452129)

Mobile No 8826101926

सेवा में
कार्यालय उपायुक्त पुलिस,(पश्चिम जिला),
महिला अपराध शाखा,
कीर्ति नगर
नई दिल्ली-110027

Application given in Women Cell.

विषय: ससुराल पक्ष की ओर से दहेज की मांग करना व दहेज की खातिर प्रताड़ित करना व ससुराल से निकलने को मजबूर करना

श्रीमान जी,

मैं रीना खुराना आयु (35 वर्ष) सुपुत्री श्री एस.आर. खनेजा तथा पत्नी कमल खुराना निम्न निवेदन करती हुं :

1 यह कि मेरी शादी उपरोक्त श्री कमल खुराना सुपुत्र श्री के.एल. खुराना निवासी 527,पाकेट-सी ,गेट नंबर-13,त्रिवेणी अप्पारट्मेंटस ,शेख सराय ,फेस-1,नई दिल्ली-110017 के साथ 24-अक्तूबर 2011 को बड़ी धूम-धाम से हिंदु रीति-रिवाज के अनुसार सुभाष नगर दिल्ली से संप्पन हुई थी ।मेरे माता–पिता ने अपनी हैसियत अनुसार अच्छा-खासा दान-दहेज दिया था। शादी के शुरू के एक दो महीने तक तो सब ठीक-ठाक रहा परंतु कुछ दिन बाद ही इन लोगों ने अपना असली रंग दिखाना

(Mobile No 9013501274 Kamal Khurana)

Reena

शुरू कर दिया । आये दिन दहेज को लेकर ताना मारते कि हमें तो उम्मीद थी कि दहेज में कार देंगे। इस वजह से ससुराल वाले खुश नहीं थे। दहेज कि खातिर मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर आ रहें हैं।

2 शादी के तुरंत बाद और हनी-मून पर जाने से पहले ही मेरे सास-ससुर व पति ने सारे गहने उतरवा कर अपने कब्जे में लिये थे। तब से लेकर आज तक मैने अपने गहनो की शकल-सूरत तक नहीं देखी है। जब कभी भी मैने अपने गहने पहनने के लिये मांगे आज तक मुझे पहनने को नहीं दिये।

3 बार-बार ससुर- व सास दोनो कहते हैं की उनके बड़े बेटे की शादी पर उन्हें गाड़ी मिली थी ,मेरे दोनो बेटों की ऊंची पोजीशन है, दोनो पार्लियामेंट में काम करते उस हिसाब से इन्हें मेरे छोटे बेटे कमल को भी इसके ससुराल से गाड़ी मिलनी चाहिए । जिस कारण मुझे बार-बार मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते रहते हैं। शादी से लेकर आज तक अत्यचार करते आ रहें है।।मेरा जीना मुहाल कर रखा है।

4 ये लोग रुपये पैसे के बहुत भूखे हैं, शादी के शुरू के 3-4 महिनो में छोटे-छोटे तीज–त्योहारों पर 8400/- की मेरी कलेक्षन हुई थी वो भी मेरे पति ने यह कर रख लिये की उसके बड़े भाई (राजेश) का आपरेशन होना है उसके बाद मुझे वापिस कर देंगे। तीज-त्योहार पर मेरे माता-पिता जो भी नकद देते थे वो कैश मेरा पति इस्तेमाल कर लेता था कहता था मेरे और तेरे पैसों में फर्क थोड़े ही है

5 शादी के पहले दिन से लेकर (20-04-2013 घर से मजबूरन निकलने तक) इन्होने मुझ पर कोई ख़र्च नहीं किया ,न ही मुझे कोई कपड़े ले कर दिये, न ही कभी मेरी निजी जरूरत के लिये के लिये कोई पैसा दिया। जब भी पैसे की मांग की तो पति कहता की तेरा घर चलाने में कंट्रीब्युशन ही क्या है। जब-जब मेरे माता-पिता ने मेरी बेसिक जरूरत

जैसे नहाने का साबुन, बालों का तेल, बिंदी-पाउडर इत्यादि के लिये पैसे देते थे वो पैसे मेरे ससुराल वाले मुझ से छीन लेते थे, रोटी भी तसल्ली से नही खाने देते थे।

6 घर में दो नये प्राणी आने के बाद भी आज तक इनके राशन के समान में कोई बड़ोतरी नहीं हुई। न दुध में ,न सब्जी में ,न कभी फल में। गर्भ अवस्था में भी पूरा खाना-पानी नही दिया जाता था।

7 जब -जब मेरे मां-बाप के यहां से तीज-त्योहार पर कोई भी सामान आता था जिस से यह कभी संतुष्ट नहीं होते थे। मेरे-मां बाप के साथ ~~मार-पीट करते~~ व गंदी-गंदी गालियां देते थे। मेरे ससुराल वाले मेरे पति को भड़काते और मेरा पति मुझे मारता था। शादी के एक महीने के बाद से ही हमेशा मेरा पति मेरे साथ मार–पीट, गाली-गलौच लात-घुन्सो से मारता था मैं चिल्लाती थी परंतु बीच–बचाव करने कोई नही आता था।

8 मेरा पति ड्यूटी से आने के बाद बिना किसी बात के मेरे मुंह पर थूकता था । झूठा पानी मेरे मुंह पर फैक मारता था । कभी कभी जब मैं सो रही होती तो बिना किसी कारण मेरे ऊपर पानी फैक्ता था। मैं कुछ कहती तो मेरे बाल पकड़ कर जोर से खींचता और फर्श पर पटक मारता , मैं दर्द से चीखती-चिल्लाती थी परंतु बीच–बचाव करने कोई नही आता था।

9 13 अप्रैल 2013 को बच्चे का नाम कारण किया गया इन्होने मेरे मेरे माता-पिता के यहां से किसी को नहीं बुलाया। ताना मारते हुए कहा की हमने इस लिये नहीं बुलाया क्योंकि यदि तुम्हारे घर वाले आते तो इस त्योहार पर कूड़ा-कर-कट उठा-कर लाते , देना है तो कुछ ढंग का दें । सास-ससुर बार-बार कहते हैं की उनके बड़े बेटे की शादी पर उन्हें गाड़ी मिली थी, मेरे दोनो बेटों की ऊंची पोजीशन है, दोनो पार्लियामेंट

में काम करते है उस हिसाब से इन्हें (मेरे माता-पिता को) मेरे छोटे बेटे कमल को भी गाड़ी देनी चाहिये।

10 14 अप्रैल 2013 को सुबह बच्चे के छींकने कि आवाज आई तो मेरे पति ने मेरे भाई को फोन किया कि ये (मैं) बच्चे का ख्याल नहीं रखती हुं , उसके बाद मेरे मुंह पर थूका ,पेट पर लात मारी जो मुझे पेट पर जहां ऑपरेशन के कारण टांके लगे थे लगी । मैं दर्द के कारण चिल्लाई मगर इन लोगों में से किसी ने इसे कुछ नही कहा।

11 मैने कहा मुझे अपने माएके जाना है तो उसके बाद मेरे पति व मेरे जेठ ने मुझे बहुत भद्दी गालियां दी । मेरे ससुर ने कहा कि यदि तुम अपने मायेके गई तो हम पुलिस में शिकायत का देंगे कि तुम हमारे घर से काफी कुछ सामान चुरा कर ले गई हो व मुझे बुरा भला कहा मैने फोन पर अपनी स्थिति अपने मां-बाप को बताई तब 20-04-2013 उन्होने पुलिस में शिकायत लिखा कर पुलिस की मौजूदगी में मुझे सही सलामत अपने घर ले गये ।

12 जैसा कि अंदेशा था कि मेरे ससुराल वाले मेरे ऊपर चोरी का झूठा इल्जाम लगायेंगे वैसा ही हुआ। उन्होने आरोप लगाया है कि मैं अपने मां-बाप द्वारा दिये जेवरात व अपनी सास के जेवरात जो कि अलमारी में रखे थे अपने बाप-भाई के साथ मिल कर उठा लय हुं। और हमारे ऊपर लूट और हत्या कि कोशिश का आरोप लागने का अपने वकील द्वारा नोटिस दिया है। जबकि मैं पुलिस कि देख रेख में पूरी तलाशी देने के बाद अपने मायेके आई हुं।

13 मेरे आने के बाद मेरे ससुर ने और भी झूठे आरोप लगायें हैं कि मैने व मेरे भाई और बाप ने (मेरी सास) को सिड़ियों में दीवार में धक्का दिया और उन्हे लोहे के दरवाजे में जोर से टक्कर मारी जिस से वह बेहोश हो गई , जिस से उसे खून कि उल्टी हो गयी। उन्होने हमे झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी है। वो सोचते हैं कि इस तरह वे

मेरा स्त्री धन हडप लेंगे व उल्टे मुझे व मेरे भाई और बाप को झूठे केसों में फंसा लेंगे।

14 मेरे मां-बाप ने मेरी शादी में, शादी से पहले, व शादी के समय व शादी के बाद व मेरी बेटी पैदा होने तक लगभग 18-18 (20 लाख) लाख रुपये तक का खर्च कर चुके हैं। शादी से पहले ,शादी के समय व शादी बाद किये गये खर्च, दहेज व नकदी की सूची-इस शिकायत पत्र के साथ सलंघन है।

15 श्री मान जी मेरी उपरोक्त शिकायत दर्ज कर, मेरे ससुरालियों के खिलाफ सखत से सखत कानूनी कार्-वाही कर मेरा स्मस्त स्त्री धन, मय जेवरात वापिस दिलवाया जाये ।आपकी अति कृपा होगी ।

धन्यवाद ! आपकी सदैव आभारी रहुंगी

भवदीय

Reena

रीना खुराना पत्नी कमल खुराना

T. No 2514 1129

8826101926

FIR in case of Reena Khurana

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

1. District: WEST DELHI P.S.: RAJOURI GARDEN Year: 2014 FIR No.: 74 Date: 22-01-2014

2. Act(s): (i) IPC 1860 Section(s): 498A/406/34
(ii)
(iii)
(iv)

3. Occurrence of Offence: Unknown date and time:
(a) Day: Date From: Date To:
Time Period: Time From: Time To:
(b) Information received at P.S: Date: 22-01-2014 Time: 18:30 hrs
(c) General Diary Reference: Entry No.: 40A Time: 18:30 hrs

4. Type of Information: WRITTEN

5. Place of Occurrence:
(a) Direction and Distance from P.S: South-West 0.5 km. Beat No.: 12
(b) Address: 2/231, SUBHASH NAGAR,NEAR ARYA SAMAJ MANDIR, RAJOURI GARDEN, NEW DELHI
(c) In case, Outside the limit of the Police Station:
Name of P.S: District:

6. Complainant/Informant:
(a) Name: REENA KHURANA (D/O) SH S R KHURANA
(b) Date/Year of Birth: Nationality: INDIA
(c) Passport No. Date of Issue: Place of Issue:
(d) Occupation:
(e) Address: H.NO. 2/231, SUBHASH NAGAR, NEW DELHI

7. Details of Known/Suspect/Unknown accused with full particulars(attach separate sheet if necessary):
(i)
(ii)
(iii)

8. Reason for delay in reporting by the complaint/informant: NO DELAY

9. Particulars of the properties stolen/involved(attach separate sheet if necessary):

S.No.	Property Type(Description)	Est. Value(Rs.)	Status
1.			
2.			
3.			

10. Total value of property stolen:

11. Inquest Report/U.D Case No., if any:

Reena Khurana

District: WEST DELHI P.S.: RAJOURI GARDEN Year: 2014 FIR No.: 74 Date: 22-01-201

12. F.I.R Contents(attach separate sheet,if required):

Cpmplt. No. 709/13 CAW Cell/West Dt. 2/8/13 R.Date 12/8/13 at 11.30

प्रेषक : श्रीमती रीना खुराना पत्नी श्री कमल खुराना, हाल पता : मार्फत-श्री एस.आर.खनेजा मक नंबर-2/231, सुभाष नगर नई-दिल्ली-110027 Telephone No. 25141129 Mobile No 8826101926 दिनांक 30-07-2013 सेवा में कार्यलय उपायुक्त पुलिस, (पश्चिम जिला), महिला अपराध शाखा, कीर्ति नगर नई दिल्ली-110027 विषय :- ससुराल पक्ष की ओर से दहेज की म करना व दहेज की खातिर प्रताडित करना व ससुराल से निकलने को मजबूर करना श्रीमान जी, मै रीना खुराना आयु (35 वर्ष) सुपुत्री श्री एस.आर.खनेजा तथा पत्नी कमल खुराना निम्न निवेदन करती हूं.: 1. यह कि मेरी शादी उपरोक्त श्री कमल खुराना सुपुत्र श्री के.एल.खुराना निवासी 527, पाकेट-सी,गेट नंबर-13, त्रिवेणी अप्पारटमेंटस, शेख सराय,फेस-1, नई दिल्ली:110017 साथ-24 अक्तूबर 2011 को बडी धूम-धाम से हिंदु रीति-रिवाज के अनुसार सुभाष नगर दिल्ली से संप्पन हुई थी । मेरे माता-पिता ने अपनी हैसियत अनुसार अच्छा-खासा दान-दहेज दिया था । शा के शुरू के एक दो महीनें तक तो सब ठीक-ठाक रहा परंतु कुछ दिन बाद ही इन लोगों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया । आये दिन दहेज को लेकर ताना मारते कि हमें तो उम्मीद थी कि दहेज में कार देंगे । इस वजह से ससुराल वाले खुश नहीं थे । दहेज कि खातिर मानसिक व शारिरिक रूप से प्रताडित कर आ रहे है ।2. शादी के तुरंत बाद और हनी-मून पर जाने से पहले ही मेरे सास-ससुर व पति ने सारे गहने उतरवा कर अपने कब्जे में लिये थे । तब से लेकर आज तक मैंने अपने गहनों की शकल-सूरत तक नहीं देखी है । जब कभी भी मैंने अपने गहने पहनने के लिये मांगे आज तक मुझे पहनने को नहीं दिये । 3 बार-बार ससुर-व सास दोनो कहते हैं की उनके बड़े बेटे की शादी पर उन्हें गाडी मिली थी । मेरे दोनों बेटों की ऊंची पोजीशन है, दोनो पार्लियामेंट में काम करते है उस हिसाब से इन्हें मेरे छोटे बेटे कमल को भी इसके ससुराल से गाडी मिलनी चाहिए । जिस कारण मुझे बार-बार मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताडित करते रहते हैं । शादी से लेकर आज तक अत्यंचार करते आ रहें है । मेरा जीना मुहाल कर रखा है ।4 ये लोग रूपये पैसे के बहुते भूखे हैं । शादी के शुरू के 3-4 महीने में छोटे-छोटे तीज-त्योहारों पर 8400/ की मेरी कलेक्षन हुई थी वो भी मेरे पति ने यह कर रख लिये की उसके बडे भाई (राजेश) का आपरेशन होना है उसके बाद मुझे वापिस कर देंगे । तीज-त्योहार पर मेरे माता पिता जो भी नकद देते थे वो कैश मेरा पति इस्तेमाल कर लेता था कहता था मेरे और तेरे पैसों में फर्क थोड़े ही है । 5 शादी के पहले दिन से लेकर (20-04-2013 घर से मजबूरन निकलने तक) इन्होने मुझ पर कोई खर्च नहीं किया, न ही मुझे कोई कपडे ले कर दिये, न ही कभी मेरी निजी जरूरत के लिये के लिये कोई पैसा दिया । जब भी पैसे की मांग की तो पति कहता की तेरा घर चलाने में कंट्रीब्युशन ही क्या है । जब-जब मेरे माता-पिता ने मेरी बेसिक जरूरत जैसे नहाने का साबुन, बालों का तेल, बिंदी-पाउडर इत्यादि के लिये पैसे देते थे वो पैसे मेरे ससुराल वाले मुझ से छीन लेते थे, रोटी भी तसल्ली से नही खाने देते थे । 6. घर में दो नये प्राणी आने के बाद भी आज तक इनके राशन के समान में कोई बड़ोतरी नहीं हुई । न दुध में, न सब्जी में, न कभी फल में, गर्भ अवस्था में भी पूरा खाना-पानी नही दिया जाता था । 7. जब जब मेरे मां-बाप के यहां से तीज-त्योहार पर कोई भी सामान आता था जिस से यह कभी संतुष्ट नहीं होते थे ।मेरे मां बाप के साथ मारपीट करते व गन्दी गन्दी गालिया देते थे । मेरे ससुराल वाले मेरे पति को भड़काते और मेरा पति मुझे मारता था । शादी के एक महीने के बाद से ही हमेशा मेरा पति मेरे साथ मार-पीट, गाली-गलौच लात-धुन्सो से मारता था मैं चिल्लाती थी परंतु बीच-बचाव करने कोई नही आता था । 8. मेरा पति ड्यूटी से आने के बाद बिना किसी बात के मेरे मुंह पर थूकता था । झूठा पानी मेरे मुंह पर फैक मारता था । कभी कभी जब मैं सो रही होती तो बिना किसी कारण मेरे ऊपर पानी फैकता था । मैं कुछ कहती तो मेरे बाल पकड़ कर जोर से खींचता और फर्श पर पटक मारता, मैं दर्द से चीखती-चिल्लाती थी परंतु बीच-बचाव करने कोई नही आता था । 9: 13 अप्रैल 2013 को बच्चे का नाम कारण किया गया इन्होने मेरे मेरे माता-पिता के यहां से किसी को नहीं बुलाया । ताना मारते हुए कहा की हमने इस लिये नहीं बुलाया क्योंकि यदि तुम्हारे घर वाले आते तो इस त्योहार पर कूड़ा कर कट उठा-कर लाते, देना है तो कुछ ढंग का दें । सास-ससुर बार बार कहते है की उनके बड़े बेटे की शादी पर उन्हें गाड़ी मिली थी, मेरे दोनो बेटों की ऊंची पोजीशन है, दोनो पार्लियामेंट में काम करते है उस हिसाब से इन्हें (मेरे माता-पिता) को मेरे छोटे बेटे

District:WEST DELHI P.S.:RAJOURI GARDEN Year:2014 FIR No.:20140074 Date:22-01-2014

[illegible] को भी गाड़ी देनी चाहिये । 10. 14 अप्रैल 2013 को सुबह बच्चे के छींकने कि आवाज आई तो मेरे पति ने मेरे भाई को फोन किया कि ये (मैं) बच्चे का ख्याल नहीं रखती हूँ , उसके बाद मेरे मुंह पर थूका, पेट पर लात मारी जो मुझे पेट पर जहां ऑपरेशन के कारण टांके लगे थे लगी । मैं दर्द के कारण चिल्लाई मगर इन लोगों में से किसी ने इसे कुछ नही कहा । 11. मैंने कहा मुझे अपने माएके जाना है तो उसके बाद मेरे पति व मेरे जेठ ने मुझे बहुत भद्दी गालियां दी । मेरे ससुर ने कहा कि यदि तुम अपने मायेके गई तो हम पुलिस में शिकायत का देंगे कि तुम हमारे घर से काफी कुछ सामान चुरा कर ले गई हो व मुझे बुरा भला कहा मैंने फोन पर अपनी स्थिति अपने मां-बाप को बताई तब 20-04-2013 उन्होंने पुलिस में शिकायत लिखा कर पुलिस की मौजूदगी में मुझे सही सलामत अपने घर ले गये । 12. जैसा कि अंदेशा था कि मेरे ससुराल वाले मेरे ऊपर चोरी का झूठा इल्जाम लगायेंगे वैसा ही हुआ । उन्होंने आरोप लगाया है कि मैं अपने मां बाप द्वारा दिये जेवरात व अपनी सास के जेवरात जो कि अलमारी में रखे थे अपने बाप-भाई के साथ मिल कर उठा लायी हुआ और हमारे ऊपर लूट और हत्या कि कोशिश का आरोप लागने का अपने वकील द्वारा नोटिस दिया है । जबकि मैं पुलिस कि देखरेख में पूरा तलाश देने के बाद अपने मायेके आई हूँ । 13. मेरे आने के बाद ससुर ने और भी झूठे आरोप लगायें है कि मैंने व मेरे भाई और बाप ने (मेरी सास) को सिडियों में दीवार में धक्का दिया और उन्हें लोहे के दरवाजे में जोर से टक्कर मारी जिस से वह बेहोश, हो गई, जिस से खून कि उल्टी हो गयी । उन्होने हमें झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी है । वो सोचते हैं कि इस तरह वे मेरा स्त्री धन हड़प लेंगे व उल्टे मुझे व मेरे भाई और बाप को झूठे केसों में फंसा लेंगे । 14. मेरे मां-बाप ने मेरी शादी में, शादी से पहले व शादी के समय व शादी के बाद व मेरी बेटी पैदा होने तक लगभग 18-20 लाख रूपये तक का खर्च कर चुके हैं । शादी से पहले, शादी के समय व शादी बाद किये गये खर्च, दहेज व नकदी की सूची-इस शिकायत पत्र के साथ सलंघन है । 15. श्री मान जी मेरी उपरोक्त शिकायत दर्ज कर, मेरे ससुरालियों के खिलाफ सखत से सखत कानूनी कार्यवाही कर मेरा समस्त स्त्री धन, मय जेवरात वापिस दिलवाया जाये । आपकी अति कृपा होगी । धन्यवाद । आपकी सदैव आभारी रहूंगी भवदीय Sd English रीना खुराना पत्नी कमल खुराना T.No. 25141129 , 8826101926 Reena Khurana 2/231, Subhash Nagar Near Arya Samaj Mandir New Delhi 110027 Husband's Name Kamal Khurana Father in law K.L Khurana C 27, Pocket C, Gate No.13, Sheikh Sarai Phase I, Trivani Apt. New Delhi-110017 Mobile No. 9013501234 (Kamal) LO To register a Case U/s 498A/406/34 IPC & investigation be handed over to ASI Surinder Singh Sd English Ram Phal SI 22/1/14 I/C PP MIG Flats . कार्यवाही पुलिस एक शिकायत नम्बर ACP/CAW West Distt. मौसूल हुई जिस पर I/C PP MIG Flats साहब ने Endust किया Do, to register a case U/S 498A/406/34 IPC and investigation be handed over to ASI Surinder Singh जिस पर मुकदमा हजा U/S 498A/406/34 IPC का दर्ज computer कराकर copy computer FIR मय असल शिकायत बराये तफ्तीश हवाले ASI Surender Singh साहब की गई। मुकदमा हजा W/CT Chander Parbha No. 1217/W द्वारा DO साहब कि निगरानी में Type Computer कराया गया जो दुरस्त बताने पर फ्रिज किया गया । दीगर नकुलात जंजिरये डाक-अफसरान बाला कि खिदमत में अरसाल होगें । ASI/DO

13 . Action Taken(Since the above information reveals commission of offence(s)u/s as mentioned at item No.2:

(i) Registered the case and took up the investigation

OR

(ii) Directed(Name of the I.O): SURENDER SINGH

Rank: ASI

to take up the investigation. OR

No.: 28822141

(iii) Refused investigation due to:

District:WEST DELHI P.S.:RAJOURI GARDEN Year:2014 FIR No.:30140074 Date:22-01-2014

OR
District:

(iv) Transferred to P.S(name):
on point of jurisdiction.

F.I.R read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant, free of cost:

R.O.A.C:

14. Signature / Thumb Impression of The Complainant/Informant:

Signature of Officer
Name: SHIV NARAIN
Rank: ASI No.: 28780363

15. Date and Time of despatch to the court:

(Investigating Officer
Mobile No 9953433171

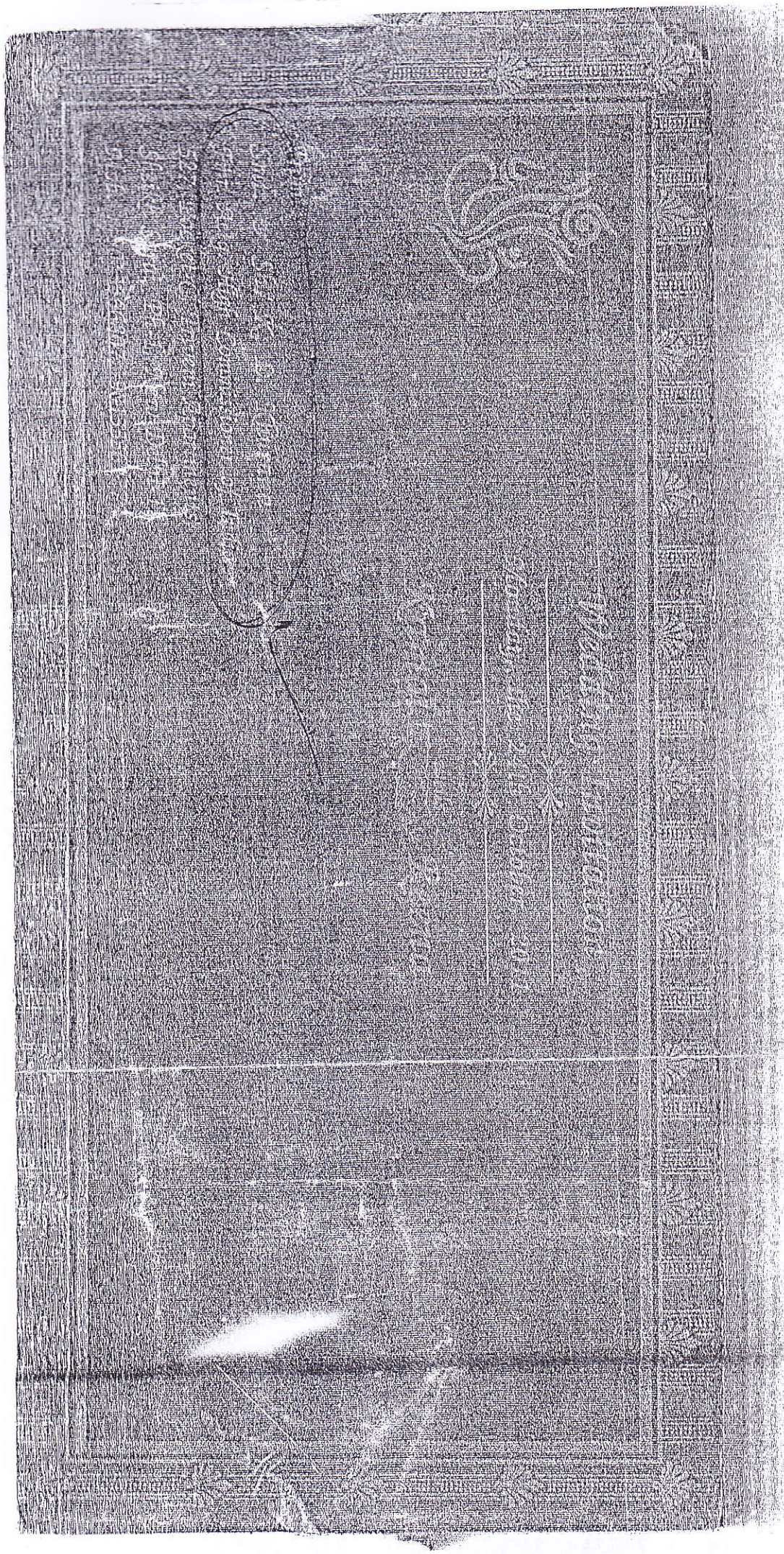

Programme

Monday, the 24th October, 2011

Sehra Bandi	5.00 p.m.
Ghurchan	5.30 p.m.
Departure of Baat	7.00 p.m.

Barat will depart from Ram Lila Stage, Arya Samaj Mandir (Near Kwality Tent House) Block No. 2, Subhash Nagar, New Delhi-27 & will proceed to Wedding Venue Opposite Pishori Gurudwara, Block No. 2, Subhash Nagar, New Delhi-27

(See Overleaf)

Humare Chachu Ki Shadi me Jallool Jallool aaiye : RIDHIMA AND RONAK KHURANA

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

विघ्न हरण मंगल करण, श्री गणपति महाराज।
प्रथम निमंत्रण आपको, पूर्ण करिए काज॥

Smt. Saroj & Shri K. L. Khurana

desire the sweet fragrance of your loving presence to shower your blessings on the auspicious occasion of the marriage of their beloved Son

Hemish

with

Reena

D/o Smt. Meena & Shri S. R. Khanejia

at their residence

57, Pocket-C, Vasant Kunj, South Delhi, New Delhi-70